संख्या:16/2024/82/35-4-2024/35-4099/272/2021

प्रेषक,

अरूणेश कुमार द्विवेदी,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
कानपुर नगर।

नियोजन अनुभाग-4 लखनऊ दिनांक: 18 जनवरी, 2024

विषय: वित्तीय वर्ष 2021-22 में त्वरित आर्थिक विकास योजनान्तर्गत स्वीकृत कतिपय कार्यों का निरस्तीकरण।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि त्वरित आर्थिक विकास योजनांतर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में जनपद कानपुर नगर की विधान सभा क्षेत्र-किदवई नगर में शासनादेश सं0-332/2021/2181/35-4-2021, दिनांक 04 दिसम्बर, 2021 द्वारा सड़क निर्माण से संबंधित 07 कार्यों की रू0 296.95 लाख की लागत पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त में रू0 98.46 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई थी। जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, कानपुर नगर के पत्रांक:901/त्व0आ0वि0यो0/वि0स0-किदवई नगर/2021-22, दिनांक 30 अगस्त, 2023 में इंगित जिलाधिकारी, कानपुर नगर के पत्रांक:625/त्व0आ0वि0यो0/वि0स0-किदवई नगर/2021-22, दिनांक 04 अगस्त, 2022 द्वारा की गयी संस्तुति के क्रम में एवं उक्त पत्र दिनांक 30 अगस्त, 2023 द्वारा कार्यदायी संस्था को अवमुक्त धनराशि को नियमानुसार सुसंगत मानक मद संख्या-5054043379900 में जमा किये जाने की वर्णित स्थिति एवं संस्था को अवमुक्त धनराशि के उपरान्त अवशेष धनराशि का वित्तीय वर्ष 2021-22 की समाप्ति पर जिलाधिकारी कानपुर नगर के पत्र संख्या-236 दिनांक 30.03.2022 द्वारा समर्पित किया जाना इंगित किये जाने के दृटिगत एतद्द्वारा उक्त शासनादेश दिनांक 04 दिसम्बर, 2021 द्वारा स्वीकृत 07 कार्यों में से 02 कार्यों को निम्न विवरण एवं शर्तों के अनुसार निरस्त किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(लाख रू. में)

	कार्य का नाम	लम्बाई (किमी0)	अनुमोदित लागत	अवमुक्त धनराशि	वर्ष 2021-22 में कार्यदायी संस्था को अवमुक्त धनराशि	वर्ष 2021-22 में समर्पित अवशेष धनराशि
1	वार्ड-88 नौबस्ता धोबिन पुलिया नहर के किनारे-किनारे साकेत नगर फल मण्डी तक डामर का निर्माण कार्य	2.789	167.76	17.00	12.75	04.25
2	जोन-5 वार्ड-51 मकान नं0-46 सुरेन्द्र पासवान के मकान से म0सं0-42 रमेश कुशवाहा के मकान तक नाली व साईड पटरी पर इण्टरलॉकिंग का कार्य	0.106	09.86	09.86	07.40	02.46
	योग:	**2.895**	**177.62**	**26.86**	**20.15**	**06.71**

1. उपर्युक्त सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 04 दिसम्बर, 2021, इस सीमा तक संशोधित समझा जायेगा।

भवदीय,

अरूणेश कुमार द्विवेदी
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या:16/2024/82(1)/35-4-2024/35-4099/272/2021 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, प्रयागराज।
3- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, लोक निर्माण/ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग।
4- अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं वित्त आयुक्त।
5- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0।
6- निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी।
7- मण्डलायुक्त, कानपुर मण्डल।
8- निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, लखनऊ।
9- मुख्य विकास अधिकारी, कानपुर नगर।
10- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, कानपुर नगर।
11- संयुक्त निदेशक, स्टेट ट्रांसफार्मेशन कमीशन, नियोजन विभाग, लखनऊ।
12- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5
13- जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, कानपुर नगर।
14- अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, कानपुर नगर।
15- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

अरूणेश कुमार द्विवेदी
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।